

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

..... उपखण्ड अधिकारी बनाम नीमकाथाना

मुकदमा शर्मा पत्र नं. 92 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/5/18	<p>रिपोर्ट लिखित होकर शर्मा पत्र पेश हुआ। वकील शर्मा उपरोक्त शर्मा पत्र दर्ज रजिस्ट्रार क्लिफ जाकर नोटिस बनाप कर शर्मा शिवा जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/5/18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना</p>	
25/5/18	<p>वकील शर्मा द्वारा शर्मा पत्र प्रस्तुत कर शर्मा पत्र के सम्बंधित मूल वाद विज्ञा कर खारीज कला लिया है। क्व इस शर्मा पत्र में कोई कार्यवाही रिया जाना उपेक्षित नहीं है।</p> <p style="text-align: center;">कल: शर्मा पत्र कथाना निषेधाज्ञा खारीज रिया जाता है पत्रावली प्रकृत हुमाट होकर नकल ले कम होकर दालिद दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">(राजदीप प्रसाद जोड) (उपखण्ड अधिकारी) नीमकाथाना</p>	